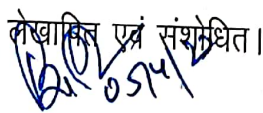
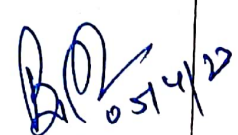


अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज
आर0एम0ए0 वाद संख्या:- 19/2016-17
मजबुर आलम-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी-मजबुर आलम, पिता-अब्दुल सुभान, सा0-पियारपुर, थाना-राधानगर, जिला-साहेबगंज ने आवेदन प्रस्तुत कर सूचित किया है कि मौजा-पियारपुर, जमाबंदी नं0-20, रकवा-16 बीघा एवं जमाबंदी नं0-57, रकवा-44 बीघा 09 कटठा जो मदारी शेख के नाम से दर्ज है जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने राजस्व विविध वाद सं0-1/2011-12, आदेश दिनांक-09.06.2012 द्वारा पक्षों के बीच हिस्से के विवाद का निपटारा राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतएव व्यवहार न्यायालय की शरण में जाने हेतु आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध अपील दायर किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित कोई भी लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि बिगत कई वर्षों से उक्त वाद में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतएव बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखांकित एवं संशोधित।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।	